

मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक: 06.09.2022

मीरजापुर पुलिस द्वारा बड़ी माँ की हत्या का आरोपित गिरफ्तार, आलाकल्ल कुल्हाड़ी बरामद—

थाना अदलहाट, जनपद मीरजापुर पर दिनांक: 05.09.2022 को वादी सुरेश कुमार पुत्र स्व० मुन्नी लाल निवासी ग्राम रजौली थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर द्वारा लिखित तहरीर बावत चचेरे भाई सतीश पुत्र स्व० बनवारी लाल द्वारा वादी के पैर पर कुल्हाड़ी से वार करने तथा वादी की माँ चमेली देवी उम्र करीब 62 वर्ष की कुल्हाड़ी से प्रहार कर मृत्यु कारित करने के सम्बन्ध में दी गयी। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना अदलहाट पर मु०अ०सं० 168/2022 धारा 302/324 भादवि बनाम सतीश पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक अदलहाट को निर्देश दिया गया। उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 06.09.2022 को प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया मय पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र स्व० बनवारी लाल निवासी ग्राम रजौली (हरिजन बस्ती) थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर को थाना अदलहाट क्षेत्र से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त आलाकल्ल कुल्हाड़ी बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि दिनांक 04.09.2022 की रात्रि जब मैं घर पहुँचा तो पत्नी से मेरा कुछ विवाद हो गया। इसी बीच मेरी बड़ी माँ चमेली देवी बीच बचाव करने आ गयीं। उनसे हमारी पहले से ही पट्टीदारी की रंजिश चल रही थी, तैस मे आकर मैंने कुल्हाड़ी चला दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

सतीश कुमार पुत्र स्व० बनवारी लाल निवासी ग्राम रजौली (हरिजन बस्ती) थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 31 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

घटना में प्रयुक्त आलाकल्ल कुल्हाड़ी।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर मय टीम।

